

## PFRDA'S COMMITMENTS TO NPS SUBSCRIBERS

### ***VISION***

- Be a model regulator for promotion and development of an organized retirement solution
- Serve the old age income needs of people on a sustainable basis.

### ***MISSION***

- Establish and promote pension system to serve the old age income needs of all citizens through guided development and prudent regulation.
- Focus on institution-building, capacity development and enabling framework for innovations in products, schemes and programmes across all stakeholders and market participants, in the best interest of the subscribers and the pension system.

### ***RETIREMENT SOLUTION PROVIDER OF CHOICE***

- Providing a sustainable voluntary contributory pension Scheme.
- Investment guidelines to build long-term wealth in a cost effective manner.
- Unique and differentiated experience at entry, accumulation, and to overcome extra ordinary situations faced by Subscribers.
- Scalable technology architecture for multi stake holders' interface.
- Choice of Pension Funds and asset allocation.
- Portability across geography and employment.
- Digital capabilities for convenience.
- Vast distribution network across the Country as Service Providers.

### ***OUR FUNCTIONS***

- Undertaking steps for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues and training of intermediaries.
- Providing pension schemes not regulated by any other enactment;
- Protecting the interests of subscribers of NPS and such other schemes as approved by the authority from time to time.
- Approving the schemes, and laying down norms of investment guidelines under such schemes;
- Registering and regulating intermediaries- NPS Trust, Points of Presence, Central Record keeping Agency, Trustee Bank, Pension Funds, Custodian for time bound service to subscribers.
- Ensuring that the intermediation and other operational costs are economical and reasonable;
- Making existing grievance redressal process robust & time bound.
- Adjudication of disputes between intermediaries and between intermediaries and subscribers.

## एनपीएस अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए की प्रतिबद्धताएं

### दृष्टि

- एक संगठित सेवानिवृत्ति समाधान के संवर्धन और विकास के लिए एक मॉडल विनियामक बनना
- सतत आधार पर लोगों की वृद्धावस्था आय की जरूरतों को पूरा करना

### मिशन

- निर्देशित विकास और विवेकपूर्ण विनियमन के माध्यम से सभी नागरिकों की वृद्धावस्था आय जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन प्रणाली की स्थापना और संवर्धन
- अभिदाताओं और पेंशन प्रणाली के सर्वोत्तम हित में सभी हितधारकों और बाजार सहभागियों के बीच उत्पादों, योजनाओं और कार्यक्रमों में नवाचार के लिए एक सक्षम ढांचा बनाना तथा संस्था-निर्माण और क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना

### विकल्पयुक्त सेवानिवृत्ति समाधान प्रदाता

- एक सतत स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना प्रदान करना
- लागत प्रभावी रूप में दीर्घकालिक कोष का सृजन करने के लिए निवेश दिशानिर्देश प्रदान करना
- प्रवेश और संचय के दौरान अद्वितीय और विशेष अनुभव तथा अभिदाताओं के सामने आ रही असाधारण परिस्थितियों को दूर करना
- अनेक हितधारकों के इंटरफेस के लिए मापनीय प्रौद्योगिकी स्थापत्य प्रदान करना
- पेंशन निधियों और आस्ति आवंटन के विकल्प प्रदान करना
- सभी भौगोलिक क्षेत्रों और रोजगारों में सुवाह्यता
- सुविधा हेतु डिजिटल क्षमताएं
- सेवा प्रदाताओं के रूप में देश भर में विशाल वितरण नेटवर्क

### हमारे क्रियाकलाप

- पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और आम जनता को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाना तथा मध्यवर्तियों का प्रशिक्षण
- किसी अन्य अधिनियमन द्वारा विनियमित नहीं होने वाली पेंशन योजनाएं प्रदान करना
- एनपीएस तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना
- योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करना, और ऐसी योजनाओं के अंतर्गत निवेश दिशानिर्देशों के मानक निर्धारित करना
- अभिदाताओं को समयबद्ध सेवा प्रदान करने के लिए इन मध्यवर्तियों का पंजीकरण और विनियमन - एनपीएस न्यास, उपस्थिति अस्तित्व, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, न्यासी बैंक, पेंशन निधि, अभिरक्षक
- यह सुनिश्चित करना कि मध्यस्थता और अन्य परिचालन लागत किफायती और समुचित हों
- मौजूदा शिकायत निवारण प्रक्रिया को सशक्त और समयबद्ध बनाना
- मध्यवर्तियों के बीच तथा अभिदाताओं और मध्यवर्तियों के बीच आपसी विवादों का अधिनिर्णयन